

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.1(3)कृषि-1/एम0सी0/2016

जयपुर, दिनांक : 19.8.2016

संशोधित अधिसूचना

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.1(3)कृषि-1/एम0सी0/2016 जयपुर, दिनांक: 23-07-2016 द्वारा जारी खरीफ 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

जारी की गई अधिसूचना के बिन्दू संख्या 21 यूनिफाईड पैकेज इन्श्योरेंस स्कीम (UPIS) के प्रयोजनार्थ दर्शायी गई क्रम संख्या 2 पर व्यक्तिगत दुघर्टना बीमा की प्रीमियम राशि 20 रुपये के स्थान पर 12 रुपये प्रति व्यक्ति व क्रम संख्या 3 पर कृषि पम्प सेट बीमा (10 हार्स पावर तक) बीमित राशि 2 लाख रुपये व प्रीमियम राशि 12 रुपये प्रति व्यक्ति के स्थान पर बीमित राशि 25000 रुपये व प्रीमियम राशि 504 रुपये प्रति व्यक्ति सेवाकर सहित किया जाता है।

(डॉ.एस.पी.सिंह)

उप शासन सचिव, कृषि

दिनांक : 19.8.2016

क्रमांक : प.1(3)कृषि-1/एम0सी0/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।
12. पंजीयक, सहकारी समितियां, सहकार भवन, राजस्थान, जयपुर ।
13. निदेशक, कृषि, कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर ।
14. समस्त सम्भागीय आयुक्त - - - - -
15. समस्त जिला कलक्टर - - - - -
16. निदेशक, उद्यान विभाग, पन्त कृषि भवन, जयपुर ।
17. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सांगानेर, जयपुर ।
18. उप सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान किसान आयोग, पन्त कृषि भवन, जयपुर ।
19. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, नेहरू पलेस, टोंक रोड, जयपुर ।
20. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय को भेजकर लेख है कि इसे राजपत्र में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावे।
21. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद - - - - -
22. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कृषि - - - - -
23. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद - - - - -
24. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, बडौदा भवन, प्लान न. 13, एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।
25. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, रामबाग सर्किल, जयपुर ।
26. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, टोंक रोड, जयपुर ।
27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, अम्बाद्वीप बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कर्नाट पैलेस, दिल्ली ।
28. मुख्य प्रबंधक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 98-सांधी उपासना टॉवर, अहिंसा सर्किल के पास, सी-स्कीम, जयपुर।
29. उप महाप्रबंधक यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लि. क्षेत्रीय कार्यालय सहारा चैम्बर्स टोंक रोड जयपुर-15
30. प्रबन्धक, स्काईमेट वैदर सर्विस प्रा.लि. 606. 6वां तल, काप्स आर्कड टावर, प्लान नम्बर-के-12,मालविया मार्ग सी-स्कीम, जयपुर
31. प्रबन्धक, एनसीएमएल, 351, द्वितीय तल नेमीसागर कालोनी, आर फर्नीचर हाउस, वैशाली नगर।
32. प्रबन्धक, इन्जन टेक्नों. प्रा. लि., जीसी-17, नीलगिरी काम्प्लेक्स, आवास विकास-1, कल्याणपुर, कानपुर, उत्तरप्रदेश-208017

(डॉ.एस.पी.सिंह)

उप शासन सचिव, कृषि